रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938
No. 109] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

IndiaCode

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 132(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 की सं. 12), की धारा 22 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड तथा विनियमों (भर्ती नियम) की अनुसूची की अनुमोदित संरचना में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

खण्ड –I – सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को राष्ट्रीय पटसन बोर्ड कर्मचारी (सेवा शर्तें) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के भाग-III कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के कॉलम 3 से 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम 6 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. परिभाषाएं:

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 की अधिनियम सं. 12) अभिप्रेत है;

ख) "बोर्ड" से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अभिप्रेत है;

ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

घ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

ङ) पद के "नियुक्ति प्राधिकारी" से उस पद पर व्यक्ति नियुक्त करने का प्राधिकार प्राप्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

च) "सचिव" से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

छ) "कर्मचारी" से वे कर्मचारी जिनके वेतन का भुगतान आकस्मिक व्यय में से किया जाता है, से अन्य बोर्ड की सेवा में पूर्णकालिक अधिकारी और कार्यालय कर्मचारीवृंद, तकनीकी कर्मचारीवृंद और सेवक कर्मचारीवृंद अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 20 और भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर "लोक सेवक" भी हैं।

ज) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 तथा 26 में परिभाषित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अभिप्रेत हैं।

खण्ड –II – अनुप्रयोग:

1. वेतन एवं भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां:—

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वेतनमान (वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन) और भत्ते (अर्थात् महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, विशेष वेतन, वाहन भत्ता, समयोपरि भत्ता, शिक्षा भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत आदि), कार्य/सेवा के घंटे तथा अवकाश और छुट्टियां (आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश/चिकित्सा अवकाश, विशेष अवकाश, शिक्षा/अध्ययन अवकाश एवं अन्य छुट्टियां आदि) वहीं होंगे जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा यथानुमोदित हैं और वेतनमानों में समय-समय

IndiaCode

पर उन उत्तरगामी परिवर्तनों के साथ राष्ट्रीय पटसन बोर्ड को प्रदान किए जाएंगे जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे। तथापि, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अपने स्वयं के चिकित्सा नियम, पेंशन नियम, भविष्य निधि नियम, यात्रा भत्ता नियम आदि राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के अनुमोदन से बना और ग्रहण कर सकता है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी पेंशन स्कीम/सामान्य भविष्य निधि/सरकारी आवास आदि राष्ट्रीय पटसन बोर्ड/सांविधिक निकायों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।

2. सेवा नियम:–

इसमें इसके पश्चात् बताई गई सेवा शर्तों में अन्यथा निहित के सिवाय, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के कर्मचारी सामान्यतः, *यथोचित परिवर्तनों सहित*, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर यथालागू नियमों [मूल नियमों, अनुपूरक नियमों, सीसीएस (आचरण) नियमावली, सीसीएस (सीसीए) नियमावली, सीसीएस (अवकाश) नियमावली, सीसीएस (आरएसए) नियमावली आदि], विनियमों, सेवा शर्तों आदि के द्वारा शासित होंगे।

बोर्ड के अंतर्गत पदों को राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के भर्ती नियमों के अनुसरण में भरा जाएगा। बोर्ड, केन्द्र सरकार के साथ परामर्श में, पदों के वर्गीकरण और नाम तथा भर्ती नियमों में समय-समय पर अपने विवेक से वे परिवर्तन कार्यान्वित कर सकता है जो वह उपयुक्त समझे और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3. भर्तियों/नियुक्तियों हेतु आवेदन: –

(क) सचिव, नियुक्ति के लिए आवेदन करने की शैली व तौर-तरीका तथा आवेदकों द्वारा अपनी आयु, अर्हता और/अथवा अनुभव के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित साक्ष्यों को निर्धारित करने हेतु समय-समय पर बोर्ड/अध्यक्ष के अनुमोदन से सामान्य आदेश अथवा विशेष निदेश जारी कर सकता है।

(ख) पात्रता- किसी भी ग्रेड अथवा पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्र होने के लिए, उम्मीदवार भारत का नागरिक अथवा भारत सरकार के सदृश पदों में नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु अन्य किसी भी राज्य का नागरिक होना चाहिए।

(ग) कोई भी व्यक्ति किसी ग्रेड अथवा पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यदि-

(i) अभ्यर्थी, एक पुरुष अभ्यर्थी होते हुए, के पास एक से अधिक जीवित पत्नी है, अथवा पत्नी के जीवित रहते, किसी मामले में विवाह करता है, वह विवाह यदि उस पत्नी के जीवित रहते किया जाता है तो उस कारण से अमान्य है, अथवा

(ii) अभ्यर्थी, एक महिला अभ्यर्थी होते हुए, उसका विवाह उन कारणों से अमान्य है कि वह ऐसे विवाह के समय पति के पास जीवित पत्नी है अथवा उसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है जिसकी ऐसे विवाह के समय पत्नी जीवित है। किन्तु यदि सचिव संतुष्ट होता है कि ऐसे विवाह करने का विशेष आधार मौजूद है और उन कारणों को लिखित में दर्ज करने पर, उपर्युक्त उप-नियम के प्रचालन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट प्रदान कर सकता है।

(iii) पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता की अन्य शर्तें बोर्ड द्वारा इस प्रकार निर्धारित की जा सकती हैं जिनको वह उचित समझता है।

(घ) चरित्र और पूर्ववृत्त उपयुक्त हो- एक अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना चाहिए कि उसका चरित्र और पूर्ववृत्त ग्रेड अथवा पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।

(ङ) इन नियमों की कोई भी अथवा सभी अपेक्षाओं को अभ्यर्थी पूरा करता है अथवा नहीं, इस मामले पर नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(च) शारीरिक स्वस्थता- अभ्यर्थी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा वह ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से रहित होना चाहिए जो कदाचित बोर्ड के अंतर्गत सेवा की अपेक्षाओं को प्रभावित करे और किसी ग्रेड अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होने से पहले उन चिकित्सीय परीक्षणों पर खरा उतरना चाहिए जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

IndiaCode

(छ) आवेदन शुल्क का भुगतान- अभ्यर्थी, आवेदन करते समय उस शुल्क का भुगतान करेगा जो सचिव द्वारा निर्धारित किया गया है। किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अन्य किसी वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।

खण्ड-III –भर्तियां:

1. पदों की भर्ती/भरे जाने की पद्धतियां और सिद्धान्त:

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के मौजूदा कर्मचारियों के निर्धारण के द्वारा पदों को प्रारंभिक रूप से भरने के बाद, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के भर्ती नियमों के अनुसरण में, बोर्ड के अंतर्गत पदों को निम्नलिखित एक अथवा अन्य पद्धति से भरा जाए:-

(i) प्रोन्नति द्वारा;

(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा सांविधिक/स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी संगठित सेवा अथवा पदों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा; तथा

(iii) सीधी भर्ती द्वारा;

(iv) स्वीकृत पदों/वेतनमानों पर लघु आवधिक संविदा द्वारा।

2. सीधी भर्ती की प्रक्रिया:

सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा:

पदों पर भर्ती के लिए, देशभर के समाचार-पत्रों जिनका चयन उनकी लोक प्रसिद्धि और प्रचालन के संदर्भ में किया जाएगा, में पद के कर्तव्यों की प्रकृति, अर्हता और अपेक्षित आयु-सीमा, प्रोन्नति की संभावना, यदि कोई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि अन्य संगत जानकारी खुले विज्ञापन के द्वारा देते हुए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विज्ञापन संगत वेबसाइटों पर ऑनलाइन डाले जाने चाहिएं।

यदि विज्ञापन देने से आवेदकों की पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो बोर्ड के सदस्य सचिव स्थापित संगठनों अथवा व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आमंत्रित कर सकेंगे। समूह 'क' पदों के प्रत्येक पद के लिए चयन की प्रक्रिया राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के भर्ती नियमों के अनुसरण में बनी चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी और इस प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों आदि शामिल हो सकते हैं। तथापि, समूह 'ख', 'ग' और 'घ' की चयन प्रक्रिया में केवल लिखित परीक्षा होगी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, इन पदों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

3. प्रोन्नति की प्रक्रिया:

(i) जब पद एक अचयन पद है, संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा यथानिर्णीत, "स्वस्थता के अध्यधीन" प्रोन्नति का आधार वरिष्ठता होगी।

(ii) जब पद एक चयन पद है, प्रोन्नति का आधार "वरिष्ठता को समुचित स्थान देते हुए योग्यता" होगा; योग्यता का निर्धारण संगत पदों के लिए इन नियमों के भाग-II में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा व्यक्ति के पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर इस परन्तुक के साथ किया जाएगा कि विभागीय प्रोन्नति समिति का संघटन वही

होगा जो सीधी नियुक्ति हेतु चयन समिति का होता है। चयनित व्यक्तियों को ग्रेड में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा जिस ग्रेड से वे प्रोन्नत हुए हैं। आपवादिक मामलों में जहां चयनित व्यक्ति को इतना उत्कृष्ट आंका जाता है कि उसे विशेष रूप से विचार किए जाने के योग्य माना जाता है;, विभागीय प्रोन्नति समिति, स्वयं को पूर्णतः संतुष्ट करने के पश्चात् कि व्यक्ति को केवल गोपनीय पंजी में उसकी ग्रेडिंग के आधार पर उत्कृष्ट नहीं आंका गया है, अपितु यह ग्रेडिंग उसके उत्कृष्ट निष्पादन पर आधारित थी, समिति उससे वरिष्ठ व्यक्तियों की सापेक्ष योग्यताओं तथा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उसके वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में उस उच्चतर स्तर पर स्थापित कर सकती है जिसका वह निर्णय ले।

(iii) विभागीय प्रोन्नति समिति की किसी बैठक में एक व्यक्ति यदि प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसे इस आधार पर अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पिछली बैठक में वह उपयुक्त नहीं पाया गया था। ऐसे व्यक्ति पर अन्य पात्र व्यक्तियों के साथ प्रत्येक बैठक में नए सिरे से निरपवाद रूप से विचार किया जाएगा।

(iv) पदों के लिए भर्ती नियमों के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु पात्र सभी व्यक्तियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा और प्रशासन के प्रभारी अधिकारी, जिसका रैंक बोर्ड के उप निदेशक से कम नहीं होगा, द्वारा विधिवत प्रमाणित संपूर्ण सूची कि किसी भी पात्र व्यक्ति को इस सूची में छोड़ा नहीं गया है, विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(v) अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए अथवा ऐसे व्यक्तियों को कोई विशेष रियायत प्रदान करने के लिए विभिन्न पद, जो बोर्ड द्वारा भरे जाते हैं, में रिक्तियों के आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोई भी सामान्य आदेश अथवा निदेश बोर्ड के अंतर्गत पदोन्नति के संबंध में भी लागू होंगे।

(vi) प्रत्येक कर्मचारी/अभ्यर्थी के लिए सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रत्येक कर्मचारी/अभ्यर्थी के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी आवश्यक है और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को केन्द्र सरकार के मानक प्रावधानों/दिशानिर्देशों के अनुसार महत्व दिया जाएगा।

4. विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) का संघटन:

चयन समितियों का संघटन वही होगा जो विभागीय प्रोन्नति समितियों के लिए होता है। समूह 'क' पदों के लिए डीपीसी का संघटन निम्नवत होगा:

1. संयुक्त सचिव (पटसन)/पटसन आयुक्त-	-अध्यक्ष
2. निदेशक (पटसन), वस्त्र मंत्रालय	-सदस्य
3. पटसन उपायुक्त	-सदस्य
4. सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	-सदस्य एवं संयोजक

समूह 'ख' और 'ग' (समूह 'घ' पद, यदि मौजूद है, तो उसके लिए भी) पदों के लिए संघटन निम्नवत होगा:

1. सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	-	-अध्यक्ष
2. निदेशक (पटसन) अथवा उसके प्रतिनिधि, वस्त्र मंत्रालय	-	-सदस्य

IndiaCode

3. उपायुक्त (पटसन) अथवा उनके प्रतिनिधि	-	-सदस्य
4. निदेशक (संबंधित विभाग), राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	-	-सदस्य
5. संयुक्त निदेशक (प्रशा.)/व. अधिकारी (प्रशा.)	-	-सदस्य एवं संयोजक

उपर्युक्त के अलावा, अध्यक्ष राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के अन्य किसी अधिकारी अथवा व्यावसायिक का भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में नामांकन कर सकते हैं। यह भी प्रयास रहना चाहिए कि विभिन्न पदों के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को भी नामित किया जाए। तथापि, भर्ती नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को विभागीय प्रोन्नति समिति के एक सदस्य के रूप में आवश्यक नहीं बताया गया है, क्योंकि ऐसे सदस्य का समावेशन कार्यकारी अनुदेशों के अंतर्गत शामिल है।

5. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया:

जहां किसी पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है, वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(i) किसी भी संगठन से किसी विशिष्ट अधिकारी को नाम से नियुक्त किए जाने हेतु संपर्क नहीं किया जाएगा। संबंधित संगठन को केवल वही संगत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उक्त पद के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नाम का सुझाव देने में वह समर्थ हो सके।

(ii) जहां पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है, वहां सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को 3 वर्ष से अधिक के लिए प्रतिनियुक्त/पदासीन नहीं रखा जा सकता है।

(iii) प्रत्येक कर्मचारी/अभ्यर्थी के लिए सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी प्रत्येक कर्मचारी/अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होगी और केन्द्रीय सरकार के मानक प्रावधानों/दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को महत्व दिया जाएगा।

6. नियुक्ति प्राधिकारी: सचिव के पद को छोड़कर शेष सभी पदों के संबंध में सदस्य सचिव नियुक्ति प्राधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र अखिल भारतीय सेवा/समूह 'क' सेवा अधिकारियों में से केन्द्र सरकार/सीएसबी-एसीसी द्वारा की जाएगी।

7. सीधी भर्ती के लिए विद्यमान कर्मचारियों की पात्रता- जब सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए पदों का विज्ञापन दिया जाता है, वे कर्मचारी जो बोर्ड में पहले से कार्यरत हैं और विभागीय प्रोन्नति के पात्र हैं, यदि भर्ती नियमों में उद्दिष्ट है, तो वे भी आवदेन कर सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा आयु सीमा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए डीपीसी द्वारा यथानिर्णीत, शिथिल की जा सकती है/छूट दी जा सकती है।

8. वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धान्त-

(1) वरिष्ठता से आशय है किसी पद अथवा ग्रेड में सेवा की अवधि। इस प्रकार, वरिष्ठता किसी विशिष्ट पद अथवा ग्रेड अथवा किसी समकक्ष पद अथवा ग्रेड में नियुक्ति/प्रोन्नति की तारीख से निर्धारित की जाए बशर्ते कि जहां केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों अथवा युद्ध सेवा से आए व्यक्तियों को बोर्ड की सेवा में पूर्ण रूप से नियुक्त कर लिया जाता है, तो उपयुक्त ग्रेड में ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठता का निर्णय डीपीसी की सलाह पर बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर लिया जाए। यदि नियुक्ति आदेश में एक से अधिक नियुक्तियों के नाम शामिल हैं, तो जिस व्यक्ति का नाम नियुक्ति आदेश में पहले आया है, वह व्यक्ति उसके नाम के बाद आने वाले व्यक्ति और इस प्रकार उस आदेश में अन्य व्यक्तियों से वरिष्ठ होगा।

(2) जब नियुक्तियां प्रतिस्पर्धी परीक्षा अथवा परीक्षणों के आधार पर की जाती हैं, तो सफल अभ्यर्थियों के नाम परीक्षा अथवा परीक्षण में प्राप्तांक द्वारा यथानिर्धारित योग्यता क्रम में क्रमबद्ध किए जाएं।

(3) जब नियुक्तियां केवल साक्षात्कार के आधार पर की जाती हैं, तो चयनित के नाम चयन समिति दवारा निर्धारित वरीयता के अनुक्रम में क्रमबद्ध किए जाएं और नियुक्ति उसी क्रम में की जाए।

(4) बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्तियों को बोर्ड के नियमित कर्मचारियों की तुलना में कोई वरिष्ठता प्रदान नहीं की जाएगी तथा प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ उनकी कोई संयुक्त वरिष्ठता नहीं होगी।

सीधी भर्ती-

(1) चयन पदों के संबंध में वरिष्ठता का निर्धारण विशिष्ट पदों में, अनुवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त हुए व्यक्तियों से पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप वरिष्ठ होने के नाते नियुक्त व्यक्तियों के गुणानुक्रम द्वारा किया जाएगा जिसमें नियुक्ति हेतु उनका चयन हुआ है।

(2) अचयन पदों के संबंध में वरिष्ठता का निर्धारण, व्यक्तियों द्वारा पदों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से किया जाएगा, पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।

(3) जहां दो अथवा अधिक व्यक्ति एक ही तारीख को कार्यभार ग्रहण करते हैं, और यदि उनकी वरिष्ठता निर्धारण करने के लिए कोई योग्यता क्रम उपलब्ध नहीं है, वहां वरिष्ठता का निर्धारण व्यक्ति की आयु से किया जाएगा, अधिक आयु का व्यक्ति कम आयु के व्यक्ति से वरिष्ठ होगा।

(4) अचयन पदों के संबंध में भी, जहां दो अथवा अधिक व्यक्ति एक ही तारीख को कार्यभार ग्रहण करते हैं, वहां वरिष्ठता का निर्धारण व्यक्ति की आयु से किया जाएगा, अधिक आयु का व्यक्ति कम आयु के व्यक्ति से वरिष्ठ होगा।

(5) प्रत्येक कर्मचारी/अभ्यर्थी के लिए सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी प्रत्येक कर्मचारी/अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होगी और इस विषय पर केन्द्रीय सरकार के मानक प्रावधानों/दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को महत्व दिया जाएगा।

9. लघु आवधिक अनुबंध-आवश्यकतानुसार, यदि किसी पद को प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना संभव न हो, तो ऐसे पद को लघु आवधिक अनुबंध के माध्यम से भरा जाएगा जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा इस अवधि का विस्तार अधिकतम एक और वर्ष की अवधि के लिए आवश्यकता तथा अभ्यर्थी के कार्यनिष्पादन के आधार पर किया जा सकता है। अनुबंध बिना कोई सूचना जारी किए समाप्त किया जा सकता है। निबंधन एवं शर्तों सहित इस प्रकार के लघु आवधिक अनुबंध के विज्ञापन सरकार/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए जाएं।

10. परिवीक्षा-

(i) किसी भी पद पर सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों तथा अपने पद से किसी उच्च पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है तथा परिवीक्षा के दौरान किसी भी समय बिना किसी सूचना अथवा उसका कारण बताए नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशों से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

टिप्पणी : नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियां, जिनकी एक वर्ष से अधिक की अवधि तक जारी रहने की सम्भावना नहीं है, के मामले में परिवीक्षा संबंधी उपर्युक्त प्रावधान का त्याग कर सकते हैं तथा ऐसे कर्मचारी को किसी भी समय सूचना दिए बगैर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है/सेवा समाप्त की जा सकती है।

(ii) परिवीक्षा की अवधि के दौरान, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को एक माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार, परिवीक्षा की अवधि के दौरान, यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति बोर्ड की सेवा छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक माह का नोटिस देना होगा अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में नोटिस की शर्तों में या तो पूर्ण अथवा आंशिक छूट देने के सिवाय वास्तविक नोटिस देने की एक माह से कम की उस अवधि के लिए अपने वेतन के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति नकद भुगतान से करनी होगी।

किन्तु बोर्ड किसी भी कर्मचारी की सेवा नोटिस की अवधि के लिए अथवा जैसा भी मामला हो, एक माह के नोटिस से कम की शेष अवधि के लिए उन समान दरों पर उसके वेतन और भत्तों के जोड़ के बराबर राशि का भुगतान करके बिना कोई नोटिस दिए अविलंब समाप्त कर सकता है जिन दरों पर उसकी सेवा समाप्त होने से तत्काल पहले वह आहरित कर रहा था।

खण्ड-IV विविध

1. **साक्षात्कार देने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान-** सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के लिए, बुलाए गए अभ्यर्थियों (बोर्ड की सेवा में पहले से सेवारत व्यक्तियों सहित) को उनके सामान्य निवास स्थान से सबसे छोटे रास्ते से आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी रेल किराए का यात्रा भत्ता प्रदान किया जा सकता है।

2. **स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र-** बोर्ड की सेवा में प्रारंभिक नियुक्ति से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की ओर से उसकी स्वस्थता संबंधी एक चिकित्सीय प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।

सभी समूहों, अर्थात् क, ख, ग, घ से संबंधित बोर्ड के कर्मचारियों को बोर्ड में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति ग्रहण करते समय चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पद पर नियुक्ति के लिए स्वयं के खर्चे से (गैर-प्रतिपूर्ति) विस्तृत चिकित्सीय रिपोर्ट तथा स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र राज्य सरकार के प्रेसीडेंसी सर्जन अथवा नगर/शहर के बाहर अवस्थित सिविल सर्जन द्वारा जारी किया जाना आवश्यक होगा।

3. **नियुक्ति आदेश का निरस्तीकरण-**यदि सीधी भर्ती के लिए निश्चित किए गए पद के लिए चयनित अभ्यर्ती नियुक्ति आदेश में उल्लिखित तारीख के भीतर, अथवा उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियत की गई हो, कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा बशर्ते प्रत्येक नियुक्ति आदेश उचित प्राप्ति-सूचना के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से जारी किया जाए।

4. **अनुकंपा नियुक्ति-** इन नियमों में कुछ भी निहित होते हुए, अध्यक्ष बोर्ड के सेवा के दौरान मृत कर्मचारी के वैध पुत्र अथवा पुत्री अथवा जीवनसाथी को नियुक्त कर सकते हैं, यदि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति पद हेतु निर्धारित अर्हता तथा अनुभव से युक्त हो तथा केन्द्र सरकार के अनुकंपा नियुक्ति नियमों के अनुसरण में अन्यथा उपयुक्त पाया जाए।

टिप्पणी :इस नियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय अनुकंपा नियुक्तियां करने के लिए, सामान्य प्रक्रिया से यदि हटना पड़े तो उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाए। इस प्रावधान का उद्देश्य गरीबी की परिस्थितियों में परिवार को मदद पहुंचाना है।

5. **तथ्यों का अधिक्रमण-** शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हता, आयु, जाति आदि प्रमाणपत्रों की जांच सभी कर्मचारियों/अभ्यर्थियों के संबंध में की जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी जानबूझकर असत्य विवरण प्रस्तुत करता पाया जाता है अथवा किसी पहलू की महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता पाया जाता है, जो यदि ज्ञात होती है, तो उसको अयोग्य ठहराते हुए सामान्यतया बोर्ड की सेवा में नियुक्ति पाने से वंचित कर दिया जाएगा, और, यदि नियुक्त हो जाता है तो सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा।

6. **समर्थन हेतु पक्ष-प्रचार करने पर अयोग्य घोषित किया जाना-** बोर्ड की सेवा में नियुक्ति के लिए अथवा उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु अपने आवेदन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति अथवा उसके संबंधी अथवा मित्रों की ओर से समर्थन हेतु पक्ष-प्रचार का कोई भी प्रयास करने से उस व्यक्ति को नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

7. **प्रशिक्षण-** सीधी भर्ती अथवा किसी पद पर प्रोन्नत हुए व्यक्ति को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण अथवा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम से गुजरना होगा। अधिकारी तथा कर्मचारी अपने कौशल, जो बोर्ड के कार्यनिष्पादन/कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हों, का स्तरोन्नयन करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षणों का विकल्प चुन सकते हैं और करियर में प्रगति को सुगम बना सकते हैं।

8. **सेवा दायित्व-** बोर्ड के अधीन पद पर भर्ती हुए व्यक्ति को भारत अथवा विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

9. **मृत्यु, सेवानिवृत्ति [अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति] त्यागपत्र आदि के सेवांत लाभ**

(i) बोर्ड के कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर समय-समय पर यथा लागू अधिवर्षिता की आयु के अनुसरण में होगी।

(ii) कर्मचारी केन्द्र सरकार की केन्द्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) में **अथवा** इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (रा.प.बो.) द्वारा गठित न्यासियों (संरक्षकों) द्वारा अनुरक्षित अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करेंगे **अथवा** रा.प.बो. की अंशदायी भविष्य निधि बोर्ड के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। केन्द्रीय भविष्य निधि स्कीम अथवा अंशदायी भविष्य निधि न्यास स्कीम का विकल्प चुनने का निर्णय रा.प.बो. द्वारा लिया जाएगा।

(iii) कर्मचारी केन्द्र सरकार के नियमों तथा प्रक्रिया़ओं के अनुसार सेवांत लाभों अर्थात् उपदान, छुट्टी नकदीकरण, बीमा आदि के हकदार होंगे।

(iv) बोर्ड की कोई भी ग्रुप पेंशन स्कीम में अपना अंशदान करने वाले कर्मचारी, अधिवर्षिता की तारीख पर विद्यमान पेंशन लाभों को प्राप्त करने के पात्र होंगे।

10. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट, अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

इन नियमों में कुछ भी निहित होते हुए, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के पास मामला दर मामला आधार पर, आपवादिक मामलों में गुणावगुण पर किसी भी कर्मचारी की आयु अथवा अर्हता में आंशिक छूट देने की शक्ति होगी।

[फा. सं.2/1/2012-जेई/पटसन, भाग-II]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

G.S.R 132(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the National Jute Board Act, 2008 (No. 12 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules regulating the Service Conditions of the employees of the National Jute Board, as specified in the approved structure of the National Jute Board and the Schedule of Regulations (Recruitment Rules), namely:-

Section – I -General

1. **Short Title and commencement.-** (1) These rules may be called National Jute Board Employees (Conditions of Service) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applications.-These rules shall apply to all employees of the National Jute Board, Ministry of Textiles, Government of India as specified in column (2) of Part-III of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. Definitions:

In these rules, unless the context otherwise requires:-

a) "Act" means National Jute Board Act, 2008 (Act. No.12 of 2009) ;

b) "Board" means National Jute Board set up under Section 3 of the NJB Act 2008.

c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board ;

d) "Government" means Government of India.

e) "Appointing Authority" against a post means the authority empowered to appoint a person to that post ;

f) "Secretary" means the Member Secretary of the National Jute Board

g) "Employee" means any whole time officer and office staff, technical staff and menial staff in the service of the Board, other than those whose salary is paid out of the contingencies, who shall also be the 'Public Servant' within the meaning of Section 20 of the National Jute Board Act, 2008 and Section 21 of the Indian Penal Code.

h) "Scheduled Caste and Scheduled Tribes" means Scheduled Caste and Schedules Tribes as defined in clauses 25 and 26 of Article 366 of the Constitution of India.

Section – II - Applications:

1. Pay & Allowances and Other Emoluments:

The Pay Scales (Pay Bands and Grade Pays) & Allowances (viz; DA, HRA, Special pay, Conveyance Allowance, OTA, Education Allowance, Deputation Allowance, LTC etc.), Hours of Work/Duty and the Leaves & Holidays (CL, EL, HPL/ML, Special Leave, Education/Study Leave and other holidays etc.) for the officers and employees of the National

IndiaCode

Jute Board will be the same as approved by the Central Sixth Pay Commission and extended to the NJB with subsequent changes in pay scales from time to time as would be applicable to the Central Government employees. However, NJB may frame and adopt its own Medical Rules, Pension Rules, Provident Fund Rules, TA Rules etc. with the approval of the NJB Board, as the CGHS/Govt. Pension Scheme/GPF/ Govt. accommodations etc. are not available to the employees of the NJB/Statutory Bodies.

2. Service Rules :

Save and otherwise contained in the conditions of services provided hereinafter, the employees of the NJB will generally, *Mutatis-Mutandis*, be governed by the Rules*[including Fundamental Rules, Supplementary Rules, CCS(Conduct) Rules, CCS(CCA)Rules, CCS(Leave) Rules, CCS(RSA)Rules etc.]*, regulations, conditions of services, etc. as applicable to the Central Government Employees.

The posts under the Board shall be filled up in accordance with the Recruitment Rules of the National Jute Board. The Board shall, in their discretion, effect, from time to time, such changes in the classification & nomenclature of the posts and the Recruitment Rules in consultation with the Central Government as they deem fit and their decision shall be final and binding.

3. Application for Recruitments/Appointments:

(A) The Secretary may issue, general order or special directive with the approval of the Board/Chairman, from time to time, laying down the form and manner in which applications for appointment shall be made and the documentary evidence that shall be produced by the applicants in support of their age, qualification and/or experience.

(B) Eligibility.- In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate shall be a citizen of India or subjects of any other State eligible for appointment in similar posts of the Government of India.

(C) No person shall be eligible for appointment to any grade or post if ---

(i) the candidate, being a male candidate, has more than one wife living or, having a spouse living, marries in any case, in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, or

(ii) the candidate, being a female candidate, has her marriage void by reasons of the husband having a wife living at the time of such marriage or has married a person who has a wife living at the time of such marriage. Provided further that the Secretary may, if satisfied that there are special grounds for doing so and for reasons to be recorded in writing, exempt any candidate from the operation of the above sub-rule.

(iii) other conditions for eligibility for appointment to a post as may be prescribed by the Board in such manner as may be deemed fit.

(D) Character and antecedents to be suitable.- A candidate must satisfy the appointing authority that his/her character and antecedents are such as to make him or her suitable for appointment to a grade or post.

(E) The decision of the appointing authority on the question whether a candidate does or does not satisfy any or all the requirements of these rules shall be final.

(F) Physical Fitness.- A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defects which are likely to affect the requirements of service under the Board and must pass such medical examination as may be prescribed by the Board before being eligible for appointment to any grade or post.

(G) Payment of application fee.- A candidate shall, at the time of making the application, may pay such fees as the Secretary may prescribe. Provided that any candidate belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and any other category of candidate as may be prescribed by the Government from time to time will not be required to pay any application fees.

Section – III- Recruitments:

1. Methods and principles of recruitment / filling up of posts:

Subsequent to the initial filling up of the posts by fitment of the existing employees of the NJB, the posts under the Board shall be filled in by one or the other of the following methods, in accordance with the Recruitment Rules of the National Jute Board :-

(i) By promotion;

(ii) By deputation from any of the organized services or posts in the Central or State Government or Statutory/Autonomous organizations or public undertakings; and

(iii) By direct recruitment;

(iv) Short Term Contract against sanctioned posts/pay scales.

2. Procedure for direct recruitment:

For the purpose of direct recruitment, the following procedure shall be followed :

For recruitment to posts, applications shall be invited by open advertisement in all India newspapers to be selected with reference to their range of publicity and circulation giving full information regarding the nature of the duties of the post, qualification and age limits required, prospect of promotion, if any, reservation & concession for Scheduled Castes & Scheduled Tribes etc. and other relevant information. The advertisements must be kept online on relevant websites.

In cases where advertisement fails to obtain sufficient response from applicants, it shall be open to the Member Secretary of the Board to invite names of suitable candidates through established organizations or professional institutions. The process of selection for Group 'A' posts will be prescribed by the Selection Committee formed in accordance with the Recruitment Rules of the National Jute Board, for each posts and may involve written test or personal interview or both etc. However, process of selection for the posts of Group 'B', 'C' & 'D' will be written tests only, and there will be no interview for such posts as per the extent instructions of the DOPT,.

3. Procedure for Promotion:

(i) When post is a non-selection post, the basis of promotion shall be "seniority subject to fitness" as decided by the respective Departmental Promotion Committee.

(ii) When a post is a selection post, the basis of promotion shall be "merit with due regard to seniority", merit being judged on the basis of a person's past performance by the Departmental Promotion Committee, as specified in Part-II of these rules for the relevant posts with the proviso that the composition of the DPC shall be the same as that of the Selection Committee for direct appointment. Selected persons shall be arranged in the order of their inter seniority in the grade from which they are promoted. In exceptional cases where a selected person is assessed to be so outstanding as to deserve a special consideration, the DPC, may, after fully satisfying itself that the person has been adjudged outstanding not merely on the basis of his grading in the confidential roll but that this grading was based on his outstanding performances place him to such higher position, vis-à-vis his senior as the Committee may determine having regard to the relative merits and seniority of those senior to him.

(iii) A person who is not found fit for a promotion at particular meeting of the Departmental Promotion Committee, shall not be passed over merely on the ground that he was not found fit at an earlier meeting. Such a person shall invariably be considered afresh at every meeting along with other eligible persons.

(iv) All persons held eligible for promotion under the Recruitment Rules for the posts shall be arranged in order of their seniority and complete list duly certified by the officer-in-charge of administration not below the rank of Deputy Director of the Board that no eligible person has been left out, shall be placed before the Departmental Promotion Committee.

(v) Any general order or direction issued by the Central Government from time to time for reservation of vacancies in various posts, which are filled in by the Board, for persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or for granting any special concession to such persons shall also apply in respect of promotion of posts under the Board.

(vi) Vigilance Clearance will be required to be submitted for each of the employees/candidates. ACRs/APARs will also be required to be submitted for each of the employees/candidates and weightage will be given to the ACRs/APARs as per the standard provisions/guidelines of the Central Government.

4. Composition of Departmental Promotion Committees(DPC):

The composition of the Selection Committees will be the same as for the DPCs. The Composition of DPC for Group 'A' posts will be as follows:

1. Joint Secretary (Jute)//Jute Commissioner	-	Chairman
2. Director (Jute), MOT	-	Member
3. Dy. Jute Commissioner	-	Member
4. Secretary, NJB	-	Member & Convenor

The Composition for Groups 'B' & 'C' (also for 'D' if exists) posts will be as follows:

1. Secretary, NJB	-	Chairman
2. Dir.(Jute) or his Representative, MOT	-	Member
3. Dy. JC or his Representative	-	Member
4. Director (Respective Deptt), NJB	-	Member
5. JD(Admn.)/Sr. Officer (Admn), NJB	-	Member & Convenor

In addition to the above, the Chairman may also nominate any other officers of NJB or professionals as members of the DPC. Endeavour should also be made to nominate representatives of SC/ST on the DPC constituted for various posts. However, the Recruitment Rules need not indicate the SC/ST officer as a DPC member as inclusion of such an officer is covered by the executive instructions.

5. Procedure of appointment on deputation:

When a post is to be filled in by deputation the method to be adopted would be that ---

(i) No organization shall be approached to lend a particular officer by name. Only such relevant particulars will be supplied to the organization concerned as will enable it to suggest the name of names of suitable persons for the post in question.

(ii) No person shall normally be obtained or retained on deputation for more than 3 years where a post is to be filled by deputation.

(iii) Vigilance Clearance will be required to be submitted for each of the employees/candidates. ACRs/APARs will also be required to be submitted for each of the employees/candidates and weightage will be given to the ACRs/APARs as per the standard provisions/guidelines of the Central Government.

6. Appointing Authorities.- The Member Secretary shall be the appointing authority in respect of all posts except the post of Secretary, who shall be appointed by the Central Government/CSB-ACC from amongst the AIS/Group 'A' Services' Officers eligible for appointment under Central Staffing Scheme.

7. Eligibility of existing employees for direct recruitment.- When the posts required to be filled in by direct recruitment are advertised, employees already in service of the Board and eligible for departmental promotion, if the recruitment Rules so provide, may also apply. The educational qualifications & age limit prescribed for the direct recruits can be relaxed/exempted for the departmental candidates as decided by the DPC.

8. Principles for determining seniority.-

(1) Seniority means length of service in a particular post or grade. Thus, seniority shall be determined with reference to the date of appointment/promotion to a particular post or grade or any equivalent post or grade provided that where persons on deputation from Central Government or State Government or Public Undertakings or persons with war service are permanently absorbed in the service of the Board, seniority of such persons in the appropriate grade may be decided on merit by the Board on the advice of DPC. If an appointment order contains the names of more than one person, person whose name figured first in the order of appointment will be senior to the one whose name appears next to him and so on.

(2) When appointments are made on the basis of a competitive examination or tests, names of the successful candidates shall be arranged in order of merit as determined by the number of marks obtained in the examination or test.

(3) When appointments are made on the basis of interview only names of the selected candidate shall be arranged in order of preference determined by the Selection Committee and appointment shall be made in that order.

(4) Persons serving on deputation in the Board shall have no seniority assigned to them vis-à-vis the regular employees of the Board and there shall be no combined seniority to them for the purpose of promotion.

Direct recruits.–

(1) Seniority in respect of Selection posts shall be determined by the order of merit in which they are selected for the appointment in the respective posts, persons' appointed as a result of an earlier selection being senior to those appointed as a result of subsequent selection.

(2) Seniority in respect of non-selection posts will be determined by the date of joining of the posts by such persons, person joining earlier being senior to those joining later.

(3) Where two or more persons join on the same date, and if there is no merit ranking available to determine the seniority, then age of the persons will determine the seniority, older person being senior to younger.

(4) In respect of non-selection posts also, where two or more persons join on the same date, then age of the persons will determine the seniority, older person being senior to younger.

(5) Vigilance Clearance will be required to be submitted for each of the employees/candidates. ACRs/APARs will also be required to be submitted for each of the employees/candidates and weightage will be given to the ACRs/APARs as per the standard provisions of the Central Government on the subject.

9. Short Term Contract.- Depending upon the requirement, if any post is not possible to be filled up by promotion, deputation and direct recruitment, such post will be filled through short term contract for a period not more than 2 years and can be extended further for a maximum period of one year, depending on the requirement as well as the performance of the candidate. The contract can be terminated without issuing any notice. The advertisements for such short term contract with terms and conditions shall be as per the Govt./CVC guidelines.

10. Probation.-

(i) Persons recruited direct in any post and employees promoted from one post to any higher post shall be placed on probation for period of one year from the date of appointment which may be extended or reduced at the discretion of the appointing authority and may be reverted under the orders of the appointing authority without notice or assigning any reason thereof at any time during probation.

Note: The appointing authority may dispense with the above provision regarding probation in the case of purely temporary appointments not likely to exceed a period of one year and such an employee shall be liable for reversion or termination of service at any time without notice.

(ii) During the period of probation, a person appointed direct shall be liable to be discharged at one month's notice. Similarly during the period of probation, if the person appointed direct desires to leave the service of the Board he shall give a month's notice in writing to the appointing authority or pay cash compensation equivalent to his pay for the period the actual notice falls short of one month unless the appointing authority relaxes the condition of notice either in full or in part in special circumstances.

Provided that the Board may terminate the service of any employee forthwith without such notice on payment to him of a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances at the same rates at which he was drawing immediately before the termination of his service for the period of the notice or as the case may be for the period by which such notice falls short of one month.

Section – IV Miscellaneous

1. Payment of traveling allowances for attending interviews.- In the case of posts filled by direct recruitment, the candidates (including persons already in the service of the Board) called for may be granted traveling allowance for second class railway fare by shortest route to and from their place of normal residence.

2. Certificate of Health.- A medical certificate of fitness will be required from every person prior to his initial appointment in the Board's service.

Employees of the Board belonging to all Groups, viz; A, B, C & D will be required to produce Medical Certificate at the time of his/her joining the initial appointment in the Board. The detailed medical report and medical certificate of fitness for appointment to the post will be required to be issued by the Presidency Surgeon of the State Government or a Civil Surgeon located outside the City / Town at his / her own expenses (non-reimbursable).

3. Cancellation of appointment orders.- If a candidate selected for the post earmarked for direct recruit fails to join duty within the date mentioned in the appointment order and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the appointment order, or within such extended period as the appointing authority may fix, the appointment order shall be deemed to have been cancelled. Provided that each and every appointment order shall be issued under registered post with acknowledgement due.

4. Compassionate Appointment.- Notwithstanding anything contained in these rules, the Chairman may appoint the legitimate son or daughter or spouse of an employee of the Board who dies while in service, if person to be so appointed possesses the prescribed qualification and experience for the post and is otherwise found suitable, in accordance with the Compassionate Appointment Rules of the Central Government.

Note : The reasons for departing from the normal procedure, if any, for making compassionate appointments shall be recorded in writing while exercising the powers under this rule. The object of this provision is to render help to the family in indigent circumstances.

5. Suppression of facts.- The Educational/Professional Qualifications', Age, Caste etc.; Certificates shall be subject to verification in respect of all the employees/candidates. Any candidate who is found to have deliberately furnished any particulars which are false or who have suppressed material information of a character, which if known, would ordinarily have debarred him/her from getting an appointment in the Board's service is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

6. Canvassing for support to be disqualification.- Any endeavour on the part of a person or his/her relations or friends to canvas support by direct or indirect method for his/her application for appointment in the Board's service or for promotion to a higher post shall disqualify him/her for the appointment or promotion.

7. Training.- Persons recruited direct or promoted to any post shall undertake training and refresher course as may be prescribed from time to time by the Board. The Officers and Employees may also opt for suitable trainings for upgrading their skills, which are directly related to the Performance/Activities of the Board and further facilitate career progression.

8. Liability for service.- A person recruited to a post under the Board shall be liable to be posted anywhere in India or abroad.

9. Terminal Benefits on Death, Retirement [Superannuation, Voluntary Retirement], Resignation, etc.

(i) The age of superannuation of the Board employees will be in accordance with the age of superannuation as applicable to the Central Government employees from time to time. Presently the retirement age will be 60 years.

(ii) The employees will contribute to the Central Provident Funds (CPF) Scheme of the Central Government OR to the Contributory Provident Fund maintained by the Trustees constituted for the purpose by the NJB. The rules and regulations of the Central Provident Funds (CPF) Scheme of the Central Govt. OR the NJB CPF Trust will be applicable to all the employees of the Board. Decision for opting Central Provident Funds Scheme or the CPF Trust Scheme will be taken by the NJB Board.

(iii) The employees will be entitled to terminal benefits, viz. Gratuity, Leave Encashment, Insurance etc. as per the Central Government rules and procedures.

(iv) The employees will be subject to pension benefits, as may be in place as on the date of superannuation, by way of their subscription to any group pension scheme of the Board.

10. Saving.- Nothing in these Rules shall affect reservation, relaxation of age limit, other concession, etc. required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Notwithstanding anything contained in these Rules, the NJB Board shall have the Power to partially relax the age or qualification of any employee in exceptional cases on merits on case to case basis.

[F. No. 2/1/2012-JE/Jute, Part-II]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 133(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 की सं. 12), की धारा 22 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

खण्ड –I – सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को राष्ट्रीय पटसन बोर्ड कर्मचारी (सेवा शर्ते) विनियम, 2017कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम इन नियमों की उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के कॉलम3 से 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 6 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निर्धारण/नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु प्रारंभिक खण्ड का प्रावधान-** चूंकि, तत्कालीन जेएमडीसी और एनसीजेडी से आए मौजूदा कर्मचारियों के पदों/पदनाम की शब्दावली राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के लिए स्वीकृत शब्दावली के समान नहीं होगी, इसलिए इन भर्ती नियमों के अनुसार संगत क्षेत्र/विभागों में उपयुक्त पदों के प्रारंभिक निर्धारण/प्रोन्नतियों/नियुक्तियों के लिए उनकी पात्रता एवं वरिष्ठता ज्ञात करने के प्रयोजनार्थ उनके मूल वेतनमान (ग्रेड वेतन) और जेएमडीसी, एनसीजेडी तथा रा.प.बो. में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि को गिना जाएगा।

अनुसूची

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा के साथ आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं (व्यावसायिक)	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु/शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति (पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति(एबीएस)/सीधी भर्ती	चयन /फीडर पदों का क्षेत्र तथा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हक सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	निदेशक (वित्त एवं आर्थिक सेवाएं)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन-8700	चयन	अधिकतम 55 वर्ष (विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)	सीए/आईसीडब्ल्यूए/आईसीएमए या बी.कॉम के साथ एमबीए (फाइनेंस) या अर्हता पश्चात् अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा कार्य में कम से कम 15 साल के अनुभव के साथ समकक्ष। विधि की डिग्री वांछनीय।	हां	1 वर्ष	कंपोजिट पद्धति द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सं.नि. /उ.नि. । प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 7600/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी। विभागीय उम्मीदवार को सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताओं से आंशिक छूट दी जाएगी।	1.संयुक्त सचिव (पटसन)/पटसन आयुक्त - अध्यक्ष 2.निदेशक (पटसन) -सदस्य, 3 उप पटसन आयुक्त सदस्य 4.सचिव, रा.प.बो- सदस्य एवं संयोजक
2	निदेशक (बाजार संवर्धन और योजना कार्यान्वयन)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन-8700	चयन	अधिकतम 55 वर्ष (विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर एमबीए या विपणन में विशेषज्ञता के साथ समकक्ष। अर्हता पश्चात् अधिमानतः पटसन, वस्त्र संबंधी क्षेत्र में अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर विपणन/ उत्पाद की स्थिति/निर्यात संवर्धन /विदेशी व्यापार/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/ खुदरा प्रबंधन/एफएमसीजी क्षेत्र में कार्य का कम से कम 15 साल का अनुभव के साथ।	हां	1 वर्ष	कंपोजिट पद्धति द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सं.नि. /उ.नि. । प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 7600/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी। विभागीय उम्मीदवार को सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताओं से आंशिक छूट दी जाएगी।.	उपर्युक्तानुसार
3	निदेशक (प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन-8700	चयन	अधिकतम 55 वर्ष (विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)	वस्त्र/पटसन प्रौद्योगिकी में पीएचडी या समकक्ष, अर्हता पश्चात् अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर वस्त्र/पटसन/कृषि व्यापार/कृषि अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं/उत्पाद विकास/प्रौद्योगिकी उन्नयन/ हस्तांतरण संबंधित कार्य में कम से कम 15 साल के अनुभव के साथ। पटसन/वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान कार्य वांछनीय है।	हां	1 वर्ष	कंपोजिट पद्धति द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सं.नि. /उ.नि. । प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 7600/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी। विभागीय उम्मीदवार को सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताओं से	उपर्युक्तानुसार

IndiaCode

											आंशिक छूट दी जाएगी।.	
4	संयुक्त निदेशक (प्रशा. एवं स्था.)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन-7600	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-50 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मा.सं./ सामाजिक कार्य/वित्त/व्यवसाय प्रबंधन में एमबीए या समकक्ष। अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर कार्मिक प्रबंधन/ प्रशासन कार्य में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। विधि की डिग्री वांछनीय।	हां	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक अनुबंध द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ उ.नि./स.नि. । प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 6600/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी।	उपर्युक्तानुसार
5	संयुक्त निदेशक (वित्त एवं आर्थिक सेवाएं)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन-7600	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-50 वर्ष	सीए/आईसीडब्ल्यूए/आईसीएमए या बी.कॉम के साथ एमबीए (फाइनेंस) या अर्हता पश्चात् अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा कार्य में कम से कम 10 साल के अनुभव के साथ समकक्ष। विधि की डिग्री वांछनीय।	हां	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक अनुबंध द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ उ.नि./स.नि. । प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 6600/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी।	उपर्युक्तानुसार
6	संयुक्त निदेशक (प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन-7600	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-50 वर्ष	वस्त्र/पटसन प्रौद्योगिकी में बीटेक या समकक्ष, अर्हता पश्चात् अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर वस्त्र/पटसन/कृषि व्यापार/कृषि अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं/उत्पाद विकास/प्रौद्योगिकी उन्नयन/ हस्तांतरण संबंधित कार्य में कम से	हां	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ उ.नि./स.नि.। प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 6600/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी।	उपर्युक्तानुसार

MediaCode

		के अधीन)					कम 10 साल के अनुभव के साथ। पटसन/वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान कार्य वांछनीय है।			जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक अनुबंध द्वारा		
7	संयुक्त निदेशक (बाजार संवर्धन और योजना कार्यान्वयन)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 7600	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-50 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए या विपणन में विशेषज्ञता के साथ समकक्ष। अर्हता पश्चात् अधिमानतः पटसन, वस्त्र संबंधी क्षेत्र में अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर विपणन/ उत्पाद की स्थिति/निर्यात संवर्धन /विदेशी व्यापार/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/ खुदरा प्रबंधन/एफएमसीजी क्षेत्र में कार्य का कम से कम 10 साल का अनुभव के साथ।	हां	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक अनुबंध द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ उ.नि./स.नि.। प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 6600/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी।	उपर्युक्तानुसार
8	संयुक्त निदेशक (बाजार संवर्धन और योजना कार्यान्वयन और संपर्क) नई दिल्ली	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 7600	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-50 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए या विपणन में विशेषज्ञता के साथ समकक्ष। अर्हता पश्चात् अधिमानतः पटसन, वस्त्र संबंधी क्षेत्र में अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर विपणन/ उत्पाद की स्थिति/निर्यात संवर्धन /विदेशी व्यापार/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/ खुदरा प्रबंधन/एफएमसीजी क्षेत्र तथा संपर्क कार्य में कार्य का कम से कम 15 साल का अनुभव के साथ।	हां	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पका	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ उ.नि./स.नि. । प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 6600/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी।	उपर्युक्तानुसार

IndiaCode

										लिक अनुबंध द्वारा		
9	उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा/आर्थिक सेवाएं)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6600	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-40 वर्ष	सीए/आईसीडब्ल्यूए/आईसीएमए या बी.कॉम के साथ एमबीए (फाइनेंस) या अर्हता पश्चात् अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा कार्य में कम से कम 10 साल के अनुभव के साथ समकक्ष। विधि की डिग्री वांछनीय।	हां	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक अनुबंध द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ स.नि./ले.अ. । प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 5400/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी।	उपर्युक्तानुसार
10	उप निदेशक (बाजार संवर्धन एवं योजना कार्यान्वयन / संपर्क) [कोलकाता (मुख्यालय), नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई - प्रत्येक स्थान पर 1]	04 *(चार) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6600	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए या विपणन में विशेषज्ञता के साथ समकक्ष। अर्हता पश्चात् अधिमानतः पटसन, वस्त्र संबंधी क्षेत्र में अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर विपणन/ उत्पाद की स्थिति/निर्यात संवर्धन /विदेशी व्यापार/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/ खुदरा प्रबंधन/एफएमसीजी क्षेत्र में कार्य का कम से कम 8 साल का अनुभव के साथ। दिल्ली के लिए संपर्क कार्य का अनुभव आवश्यक है।	हां	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक अनुबंध द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ स.नि./ले.अ. । प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 5400/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी।	उपर्युक्तानुसार
11	उप निदेशक (प्रशा. एवं स्था.)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6600	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मा.सं./ सामाजिक कार्य/वित्त/व्यवसाय प्रबंधन में एमबीए या समकक्ष। अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर कार्मिक प्रबंधन/ प्रशासन कार्य में	हां	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	रा.प.बो. में विपणन एवं लेखा क्षेत्र में 5/8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ स.नि./प्र.अ. । प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 5400/- में 5 वर्ष की नियमित	उपर्युक्तानुसार

		हुए परिवर्तन के अधीन)					कम से कम 8 वर्ष का अनुभव। विधि की डिग्री वांछनीय।			प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक अनुबंध द्वारा	सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी।	
12	उप निदेशक (प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6600	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-40 वर्ष	वस्त्र/पटसन प्रौद्योगिकी में बीटेक या समकक्ष, अर्हता पश्चात् अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर वस्त्र/पटसन/कृषि व्यापार/कृषि अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं/उत्पाद विकास/प्रौद्योगिकी उन्नयन/ हस्तांतरण संबंधित कार्य में कम से कम 8 साल के अनुभव के साथ।	हां	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक अनुबंध द्वारा	रा.प.बो. में प्रासंगिक क्षेत्र में 5/8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ स.नि.। प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 5400/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी।	उपर्युक्तानुसार
13	सहायक निदेशक (बाजार संवर्धन, योजना कार्यान्वयन/ निर्यात संवर्धन) मुख्यालय-02, दिल्ली-02, हैदराबाद-01,	06* (दो) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन) मुख्यालय-02, दिल्ली-02, हैदराबाद-	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 5400	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए या विपणन में विशेषज्ञता के साथ समकक्ष। अर्हता पश्चात् अधिमानतः पटसन, वस्त्र संबंधी क्षेत्र में अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर विपणन/ उत्पाद की स्थिति/निर्यात संवर्धन /विदेशी व्यापार/आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/ खुदरा प्रबंधन/एफएमसीजी क्षेत्र में कार्य का कम से कम 4 साल का अनुभव के साथ।	लागू नहीं	1 वर्ष	*75% पदोन्नति द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा	रा.प.बो. में 4/8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ अ.अ../ कार्यकारी सहायक। प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 4600/- में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।	उपर्युक्तानुसार

IndiaCode

	चेन्नई-01	01,चेन्नई-01 .										
14	सहायक निदेशक (तकनीकी-प्रौद्योगिकी) एवं सहायक निदेशक (तकनीकी-कृषि)	02* (दो) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 5400	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-35 वर्ष	वस्त्र/पटसन प्रौद्योगिकी में बीटेक या समकक्ष, अर्हता पश्चात् अधिकारी/प्रबंधकीय स्तर पर वस्त्र/पटसन/कृषि व्यापार/कृषि अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं/उत्पाद विकास/प्रौद्योगिकी उन्नयन/ हस्तांतरण संबंधित कार्य में कम से कम 4 साल के अनुभव के साथ।	लागू नहीं	1 वर्ष	*75% पदोन्नति द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा	रा.प.बो. में 8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ कार्यकारी सहायक। प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 4600/- में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।	उपर्युक्तानुसार
15	सहायक निदेशक (सतर्कता)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 5400	चयन: वरिष्टता-सह-गुणावगुण आधार पर	अधिकतम-35 वर्ष	विपणन/मा.स. में विशेषज्ञता के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए/पीजीडीबीएम या समकक्ष। अर्हता पश्चात् कार्यकारी/पर्यवेक्षी स्तर और कम से कम 4 वर्ष का कार्य अनुभव। विधि की डिग्री वांछनीय।	लागू नहीं	1 वर्ष	*75% पदोन्नति द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा	रा.प.बो. में 8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ कार्यकारी सहायक। प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 4600/- में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।	उपर्युक्तानुसार
16	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन एवं स्थापना)	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-ख	वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4600	अचयन/ वरिष्ठता	अधिकतम-30 वर्ष	विपणन/मा.स. में विशेषज्ञता के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए/पीजीडीबीएम या समकक्ष। अर्हता पश्चात् कार्यकारी/पर्यवेक्षी स्तर और कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	लागू नहीं	1 वर्ष	*75% पदोन्नति द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा	रा.प.बो. में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ कार्यकारी सहायक। प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 4200/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।	1. सचिव, रा.प.बो.-अध्यक्ष, 2. निदेशक(पटसन)/ प्रतिनिधि.-सदस्य, 3. उपसंयुक्त आयुक्त/प्रतिनिधि -सदस्य 4. निदेशक (प्रतिनिधि विभाग), रा.प.बो.-सदस्य 5. संयुक्त निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी (प्रशा., रा.प्र.बो. - सदस्य एवं संयोजक
17	लेखा अधिकारी	02* (दो) (2015) (कार्यभार पर	समूह-ख	वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4600	अचयन/ वरिष्ठता	अधिकतम-30 वर्ष	बी.कॉम/एमबीए (वित्त) या समकक्ष। कार्यकारी/पर्यवेक्षी स्तर पर वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव। विधि में अर्हता वांछनीय।	लागू नहीं	1 वर्ष	*75% पदोन्नति द्वारा और	रा.प.बो. में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ लेखाकार। प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 4200/- में 5 वर्ष की नियमित	उपर्युक्तानुसार

Indiacode

		निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)								25% सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।	
18	निजी सचिव	03* (तीन) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन) मुख्यालय-02, दिल्ली-01	समूह-ख	वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4600	अचयन/ वरिष्ठता	अधिकतम-30 वर्ष	सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में कम से कम 6 माह के डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। वैयक्तिक सहायक (पीए) के रूप में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव। अंग्रेजी आशुलिपि में 120श.प्र.मि. तथा अंग्रेजी टंकण में 30श.प्र.मि. की गति। कंप्यूटर के बेसिक प्रचालन अर्थात् एमएस वर्क, एक्सिल, पॉवर प्वाइंट, इंटरनेट आदि का ज्ञान।	लागू नहीं	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	रा.प.बो. में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वैयक्तिक सहायक। प्रतिनियुक्ति के लिए-ग्रेड वेतन 4200/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इसी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।	उपर्युक्तानुसार
19	कार्यकारी सहायक	08* (आठ) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन) मुख्यालय-07, दिल्ली-01	समूह-ख	वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4200	अचयन/ वरिष्ठता	अधिकतम-30 वर्ष	कंप्यूटर प्रचालन में कम से कम 6 माह के डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। कार्यालयीन फाइलों पर काम कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव। कंप्यूटर के बेसिक प्रचालन अर्थात् एमएस वर्क, एक्सिल, पॉवर प्वाइंट, इंटरनेट आदि का ज्ञान अनिवार्य है। बिजनेस/ऑफिस मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा को वरियता दी जाएगी।	लागू नहीं	1 वर्ष	*75% पदोन्नति द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा	रा.प.बो. में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ कार्यालय सहायक।	उपर्युक्तानुसार
20	लेखाकार [मुख्यालय, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई - प्रत्येक स्थान पर 1]	04* (तीन) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन) मुख्यालय-01, दिल्ली-01, हैदराबाद-01, चेन्नई-01	समूह-ख	वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4200	अचयन/ वरिष्ठता	अधिकतम-30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम। लेखाकार के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव। टैली अकाउंट्स पैकेज के प्रचालन तथा कंप्यूटर के बेसिक प्रचालन अर्थात् एमएस वर्क, एक्सिल, पॉवर प्वाइंट, इंटरनेट आदि का ज्ञान।	लागू नहीं	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	रा.प.बो. में 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ कनिष्ठ लेखाकार।	उपर्युक्तानुसार

MediaCode

21	निजी सचिव	03* (तीन) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-ख	वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4200	अचयन/ वरिष्ठता	अधिकतम-30 वर्ष	कंप्यूटर प्रचालन/सेक्रेटेरियेट सर्विसेज में कम से कम 6 माह के डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। अंग्रेजी आशुलिपि में 100श.प्र.मि. तथा अंग्रेजी टंकण में 30श.प्र.मि. की गति। आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव। कंप्यूटर के बेसिक प्रचालन अर्थात् एमएस वर्क, एक्सिल, पॉवर प्वाइंट, इंटरनेट आदि का ज्ञान।	लागू नहीं	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	रा.प.बो. में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ आशुलिपिक।	उपर्युक्तानुसार
22	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-ख	वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4200	अचयन/ वरिष्ठता	न्यूनतम-20, अधिकतम-27 वर्ष	मुख्य विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ स्नातक की डिग्री (जिसमें शब्द अनिवार्य और वैकल्पिक विषय शामिल हो)। अंग्रेजी से हिन्दी तथा विलोमतः अनुवाद का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। हिन्दी टंकण में 25श.प्र.मि. की गति। हिन्दी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज्ञान को वरियता दी जाएगी।	लागू नहीं	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	कॉलम (8) में दी गई शैक्षणिक अर्हताओं के साथ रा.प.बो. में 18 वर्ष की नियमित सेवा के साथ हिन्दी टंकक।	उपर्युक्तानुसार
23	कनिष्ठ लेखाकार	02* (दो) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-ग	वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2800	अचयन	न्यूनतम-20, अधिकतम-27 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। टैली अकाउंट्स पैकेज के प्रचालन तथा कंप्यूटर के बेसिक प्रचालन अर्थात् एमएस वर्क, एक्सिल, पॉवर प्वाइंट, इंटरनेट आदि का ज्ञान। लेखाकार के रूप में कार्य अनुभव को वरियता दी जाएगी।	लागू नहीं	1 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	कामर्स विषय के साथ 10+2 प्रमाणपत्र तथा लेखा कार्य के अनुभव सहित 5 वर्ष की सेवा के साथ कार्यालय सहायक	उपर्युक्तानुसार
24	कार्यालय सहायक	08* (आठ) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-ग	वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2400	अचयन/ वरिष्ठता	न्यूनतम-20, अधिकतम-27 वर्ष	कंप्यूटर प्रचालन में कम से कम 6 माह के डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। कंप्यूटर के बेसिक प्रचालन अर्थात् एमएस वर्क, एक्सिल, पॉवर प्वाइंट, इंटरनेट आदि का ज्ञान अनिवार्य है। कार्यालयीन कार्य में अनुभव को वरियता दी जाएगी।	लागू नहीं	1 वर्ष	40 % पदोन्नति द्वारा और 60% सीधी भर्ती द्वारा	अंग्रेजी विषय (लिखित) तथा कंप्यूटर पर 30 शब्द/मिनट की टंकण गति के साथ कंप्यूटर की जानकारी और 10+2 प्रमाणपत्र सहित 11 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रा.प.बो. के बहुकार्य सहायक	उपर्युक्तानुसार
25	आशुलिपिक	03* (तीन) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-ग	वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2400	अचयन	न्यूनतम-18, अधिकतम-27 वर्ष	कंप्यूटर प्रचालन में कम से कम 6 माह के डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10+2 (इंटरमीडिएट) प्रमाणपत्र। कंप्यूटर के बेसिक प्रचालन अर्थात् एमएस वर्क, एक्सिल, पॉवर प्वाइंट, इंटरनेट आदि का ज्ञान। अंग्रेजी आशुलिपि में 80 श.प्र.मि. तथा अंग्रेजी टंकण में 30श.प्र.मि. की गति। सेक्रेटेरियेट कार्य में अनुभव को वरियता दी जाएगी।	लागू नहीं	1 वर्ष	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती	उपर्युक्तानुसार

MediaCode

26	हिन्दी टंकक	01* (एक) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-ग	वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 1900	अचयन	न्यूनतम-18, अधिकतम-27 वर्ष	एक मुख्य विषय के रूप में हिन्दी साहित्य के साथ हिन्दी माध्यम से कम से कम 10+2 (इंटरमीडिएट) प्रमाणपत्र। हिन्दी टंकण में 30श.प्र.मि. की गति। हिन्दी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज्ञान को वरियता दी जाएगी।	लागू नहीं	1 वर्ष	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती	उपर्युक्तानुसार
27	बहुकार्य सहायक (एमटीए)	10* (दस) (2015) (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	समूह-ग	वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 1900	अचयन	न्यूनतम-18, अधिकतम-27 वर्ष	न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण। अंग्रेजी/हिन्दी पढ़ने/लिखने और टंकण कार्य का ज्ञान तथा कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान रखने वाले को वरियता दी जाएगी।	लागू नहीं	1 वर्ष	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती	उपर्युक्तानुसार
											टिप्पणी: भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विभागीय उम्मीदवारों के पात्र/उपयुक्त न होने की स्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक अधिकारियों की संख्या पर विचार किया जा सकता है।	

[फा. सं. 2/1/2012-जेई/ पटसन, भाग-II]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

G.S.R. 133(E).— In exercise of the powers conferred by section 22 of the National Jute Board Act, 2008 (No. 12 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the various posts in the National Jute Board, as specified in column (2) of the Schedule, namely:-

1. **Short Title and commencement.-** (1) These rules may be called National Jute Board Employees (Recruitment Rules) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applications.-These rules shall apply to all employees of the National Jute Board, Ministry of Textiles, Government of India as specified in column (2) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale, attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. Provision of Initial clause for fitment/appointment/promotion .- Since, the existing employees hailing from the erstwhile JMDC & NCJD may not have the identical nomenclature of posts/designations as sanctioned for NJB, their existing substantive pay scales (grade pays) and their length of regular services rendered in JMDC, NCJD and NJB, will be counted for the purpose of their determining eligibility & seniority for initial fitments/promotions/appointments to the appropriate posts in the relevant field/Departments as per these RRs.

SCHEDULE

S. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classifi-cation of Posts	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection or Non-Selection Post	Age Limit for Direct Recruits with Upper Age Limit	Education & other qualification (professional) required for **Direct Recruits**	Whether age/ educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Probation	Method of Recruitment (Promotion/ deputation (Abs)/ Direct Recruitment/ Composite	Field of Selection/ Feeder Posts and Qualifying service for Promotion/ Deputation	Departmental Promotion Committee (DPC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Director (Finance & Economic Services)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-4, GP- 8700	Selection	Max-55Years (No age bar for Departmental Candidates)	CA/ ICWA/ ICMA OR B.Com. with MBA(Finance) or Equivalent with at least 15 yrs. post qualification work experience in finance, accounts and audit at officer/managerial level. Law Degree desirable.	Yes	1 Year	By Composite Method	JD/DD of NJB with 5/10 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 7600/-. Departmental candidate will be partially exempted from DR Education Qualifications.	1. JS(Jute)/JC - Chairman 2. Dir(Jute) -Member, 3 Dy. JC - Member 4. Secy, NJB- Member & Convenor
2	Director (Market Promotion &Scheme Implementation)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-4, GP- 8700	Selection	Max-55Years (No age bar for Departmental Candidates)	Master in Business Administration (MBA) from a Recognised University Or Equivalent with specialization in Marketing. At least 15 years' post qualification work experience in marketing/product positioning/export promotion/ foreign	Yes	1 Year	By Composite Method	JD/DD of NJB with 5/10 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 7600/-. Departmental candidate will be partially exempted from DR Education Qualifications.	As above

Indiacode

							Trade/ Supply Chain Mgt./ Retail Mgt./FMCG Sector at officer/ managerial level preferably in Jute, Textiles related sector.					
3	Director (Technology &Technical)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-4, GP- 8700	Selection	Max-55Years (No age bar for Departmental Candidates)	M. Tech/Ph.D. in Textile/ Jute Technology Or Equivalent, with at least 15 years' post qualification work experience in textiles/Jute /Agri. Business/ Agri. Research/ R&D Projects/ Product Development/ Technology upgradation/ transfer related work at officer/ managerial level. Research Work in Jute/Textile sector desirable.	Yes	1 Year	By Composite Method	JD/DD of NJB with 5/10 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 7600/-. Departmental candidate will be partially exempted from DR Education Qualifications.	As above
4	Jt. Director (Admin. &Estt.)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP-7600	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-50 Years	Master in Business Administration (MBA) from recognized University in HR/Social Work/Finance/ Business Management or Equivalent. At least 10 years' work experience in Personnel management/ Administration at officer/ managerial level. Law Degree desirable.	Yes	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment failing which by short term Contract	DD/AD of NJB with 5/10 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 6600/-	As above
5	Jt. Director (Finance &ES)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP-7600	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-50 Years	CA/ ICWA/ ICMA OR B.Com. with MBA(Finance) Or Equivalent with at least 10yrs post qualification work experience in finance, accounts and audit at officer/ managerial level. Law Degree desirable.	Yes	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment failing which by short term Contract	DD/AD of NJB with 5/10 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 6600/-	As above
6	Jt. Director (Technology &Technical)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP-7600	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-50 Years	B. Tech in Textile/ Jute Technology Or Equivalent, with at least 10 years' post qualification work	Yes	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which	DD/AD of NJB with 5/10 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the	As above

Make in India

							experience in textiles/Jute /Agri. Business/ Agri. Research/ R&D Projects/ Product Development/ Technology upgradation/ transfer related work at officer/ managerial level. Research Work in Jute/Textile sector desirable.			by direct recruitment failing which by short term Contract	same field with 5 yrs. regular service in GP 6600/-	
7	Jt. Director (Market Promotion & Scheme Implementation)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP 7600	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-50 Years	Master in Business Administration (MBA) from a Recognised University Or Equivalent with specialization in Marketing. At least 10 years' post qualification work experience in marketing/product positioning/export promotion/ foreign Trade/ Supply Chain Mgt./ Retail Mgt./FMCG Sector at officer/ managerial level preferably in Jute, Textiles related sector.	Yes	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment failing which by short term Contract	DD/AD of NJB with 5/10 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 6600/-	As above
8	Jt. Director (Market Promotion, Scheme Implementation & Liaison) New Delhi	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP 7600	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-50 Years	Master in Business Administration (MBA) from a Recognised University Or Equivalent with specialization in Marketing. At least 15 years' post qualification work experience in marketing/product positioning/export promotion/ foreign Trade/ Supply Chain Mgt./ Retail Mgt./FMCG Sector & Liaisoning at officer/ managerial level preferably in Jute, Textiles related sector.	Yes	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment failing which by short term Contract	DD/AD of NJB with 5/10 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 6600/-	As above

Englishside

9	Dy. Director (Finance & Accounts/ ES)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3,GP 6600	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-40 Years	CA/ ICWA/ ICMA OR B.Com. with MBA(Finance) Or Equivalent with at least 10 yrs post qualification work experience in finance, accounts and audit at officer/managerial. Law Degree desirable.	Yes	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment failing which by short term Contract	AD/AO of NJB with 5/8 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 5400/-	As above
10	Dy. Director (Market Promotion &SI/ Liaison) (1 Each at Kol(HQ), New Delhi, Hyderabad, Chennai	04 *(four) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP 6600	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-40 Years	Master in Business Administration (MBA) from a Recognised University Or Equivalent with specialization in Marketing. At least 8 years' post qualification work experience in marketing/product positioning/export promotion/ foreign Trade/ Supply Chain Mgt./ Retail Mgt./FMCG Sector at officer/ managerial level preferably in Jute, Textiles related sector.. For Delhi Liaisoning experience is must.	Yes	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment failing which by short term Contract	AD/AO of NJB with 5/8 years of regular service in the relevant field. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 5400/-	As above
11	Dy. Director (Admin. & Estt.)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP 6600	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-40 Years	Master in Business Administration (MBA) from recognized University in HR/Social Work/Finance/ Business Management or Equivalent. At least 8 years' work experience in Personnel management/ Administration at officer/ managerial level.Law Degree desirable.	Yes	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment failing which by short term Contract	AD/AO of NJB with 5/8 years of regular service in Marketing & Accounts. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 5400/-	As above
12	Dy. Director (Technology & Technical)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP 6600	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-40 Years	B. Tech in Textile/ Jute Technology Or Equivalent, with at least 8 years' post qualification work experience in	Yes	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which by direct	AD of NJB with 5/8 years of regular service in the relevant. For deputation, officers working in the same field with 5 yrs. regular	As above

Web Copy

							textiles/Jute /Agri. Business/ Agri. Research/ R&D Projects/ Product Development/ Technology upgradation/ transfer related work at officer/ managerial level.			recruitment failing which by short term Contract	service in GP 5400/-	
13	Asstt. Director (Market Promotion, Scheme Imp./Export Promotion) HQ – 02, Delhi-02, Hbd-01, Chen-01.	06* (two) (2015) (Subject to variation dependent on workload) HQ – 02, Delhi-02, Hbd-01, Chen-01.	Group-A	PB-3, GP 5400	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-35 Years	Master in Business Administration (MBA) from a Recognised University Or Equivalent with specialization in Marketing. At least 4 years' post qualification work experience in marketing/product positioning/export promotion/ foreign Trade/ Supply Chain Mgt./ Retail Mgt./FMCG Sector at officer/ managerial level preferably in Jute, Textiles related sector.	Not Applicable	1 Year	*75% By Promotion & 25% by Direct recruitment	SO/EA of NJB with 4/8 years of regular service. For deputation, officers/officials working in the same field with 3 yrs. regular service in GP 4600/-	As above
14	Asstt. Director (Technical-Technology) & Asstt. Director (Technical-Agriculture)	02* (two) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP 5400	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-35 Years	B. Tech in Textile/ Jute Technology Or Equivalent, with at least 4 years' post qualification work experience in textiles/Jute /Agri. Business/ Agri. Research/ R&D Projects/ Product Development/ Technology upgradation/ transfer related work at officer/ managerial level.	Not Applicable	1 Year	*75% By Promotion & 25% by Direct recruitment	EA of NJB with 8 years of regular service. For deputation, officers/officials working in the same field with 3 yrs. reg. service in GP 4600/-	As above
15	Assistant Director (Vigilance)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-A	PB-3, GP 5400	Selection: Seniority-cum-Merit	Max-35 Years	MBA from a Recognized University /PGDBM with specialization in Marketing/HR Or Equivalent. At least 4 years' post qualification work experience at executive/supervisory level. Law Degree is desirable.	Not Applicable	1 Year	*75% By Promotion & 25% by Direct recruitment	EA of NJB with 8 years of regular service. For deputation, officers/officials working in the same field with 3 yrs. regular service in GP 4600/-	As above

eGazette Code

16	Section Officer (Administration &Estt./)	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-B	PB-2, GP 4600	Non-Selection/Seniority	Max-30 Years	MBA from a Recognized University /PGDBM with specialization in Marketing/HR Or Equivalent. At least 3 years' work experience at executive/supervisory level.	Not Applicable	1 Year	*75% By Promotion & 25% by Direct recruitment	EA of NJB with 5 years of regular service. For deputation, officers/officials working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 4200/-	1. Secy, NJB-Chairman, 2. Dir(Jute)/ Rep.-Member, 3. Dy. JC/Rep. -Member 4. Dir(Resp. Deptt), NJB-Member 5. JD/Sr.Officer (Adm), NJB - Member & Convenor
17	Accounts Officer	02* (two) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-B	PB-2, GP 4600	Non-Selection/Seniority	Max-30 Years	B.Com/MBA(Finance) Or Equivalent with at least 3 yrs work experience in finance, accounts and audit at executive/supervisory level. Law qualification desirable.	Not Applicable	1 Year	*75% By Promotion & 25% by Direct recruitment	Accountant of NJB with 5 years of regular service. For deputation, officers/officials working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 4200/-	As above
18	Private Secretary	03* (three) (2015) (Subject to variation dependent on workload) HQ-02, Del-01	Group-B	PB-2, GP 4600	Non-Selection/ Seniority	Max-30 Years	Graduate from a recognized University with at least 6 months diploma in Secretarial practices. At least 5 years' work experience as Personal Assistant (PA). English Shorthand speed of 120 wpm & English Typing speed of 30 WPM. Knowledge of basic operation of computer viz; MS work, Excel, power point, internet etc.	Not Applicable	1 Year	By Promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment	PA of NJB with 5 years of regular service. For deputation, officers/officials working in the same field with 5 yrs. regular service in GP 4200/-	As above
19	Executive Assistant	08* (eight) (2015) (Subject to variation dependent on workload) HQ-07 Del-01	Group-B	PB-2, GP 4200	Non-Selection/ Seniority	Max-30 Years	Graduate from a recognized University with at least 6 months diploma in computer operations. At least 3 years' work experience in dealing in official files. Knowledge of basic operation of computer viz; MS work, Excel, power point, internet etc. must. Diploma in	Not Applicable	1 Year	*75% By Promotion & 25% by Direct recruitment	OA of NJB with 10 years of regular service in the relevant field	As above

Downloaded from

							Business/Office Management will be preferred.					
20	Accountant (1 each at HQ, Delhi, Hyderabad, Chennai)	04* (three) (2015) (Subject to variation dependent on workload) HQ-01, Del-01, Hbd-01, Chen-01	Group-B	PB-2, GP 4200	Non-Selection/ Seniority	Max-30 Years	B. Com from a recognized University. At least 3 years' work experience as Accountant. Knowledge of operation of Tally Accounts Package and basic operation of computer viz; MS work, Excel, power point, internet etc.	Not Applicable	1 Year	By Promotion failing which by direct recruitment	Jr. Accountant of NJB with 6 years of regular service.	As above
21	Private Assistant	03* (three) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-B	PB-2, GP 4200	Non-Selection/ Seniority	Max-30 Years	Graduate from a recognized University with at least 6 months diploma in computer operations/Secretariat Services. English Shorthand speed of 100 wpm & English Typing speed of 30 WPM At least 3 years' work experience as Stenographer/ Personal Assitt. Knowledge of basic operation of computer viz; MS work, Excel, power point, internet etc.	Not Applicable	1 Year	By Promotion failing by direct recruitment	Stenographer of NJB with 10 years of regular service.	As above
22	Jr. Hindi Translator	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-B	PB-2, GP 4200	Non-Selection/Seniority	Min-20, Max-27 Years	Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects (which includes the term compulsory and elective). Atleast 2 Years experience of English to Hindi Translation and vice-a-versa. Hindi typing speed 25 WPM. Knowledge of Hindi computer software preferred.	Not Applicable	1 Year	By Promotion failing which by direct recruitment	Hindi Tpist of NJB with 18 years of regular service with EQ as in column (8).	As above
23	Jr. Accountant	02* (two) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-C	PB-1, GP 2800	Non-Selection	Min-20, Max-27 Years	Graduate from a recognized University. Knowledge of operation of Tally Accounts Package and basic	Not Applicable	1 Year	By Promotion failing which by direct recruitment	OA with 5 years service with 10+2 certificate with commerce & knowledge of Accounts work.	As above

Manupatra

							operation of computer viz; MS work, Excel, power point, internet etc. Work experience as Accountant preferred.					
24	Office Assistant	08* (eight) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-C	PB-1, GP 2400	Non-Selection/ Seniority	Min-20, Max-27 Years	Graduate from a recognized University with at least 6 months diploma in computer operations. Knowledge of basic operation of computer viz; MS work, Excel, power point, internet etc. is must. Experience in official work will be preferred.	Not Applicable	1 Year	40 %By Promotion and 60% by direct recruitment	MTAs of NJB with 11 years of regular service with 10+2 certificate having knowledge of English (written) and computer typing with 30 WPM.	As above
25	Stenographer	03* (three) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-C	PB-1, GP 2400	Non-Selection	Min-18, Max-27 Years	At least 10+2 (Intermediate) Certificate from a recognized Board with at least 6 months diploma in computer operations. Knowledge of basic operation of computer viz; MS work, Excel, power point, internet etc. English Shorthand speed of 80 wpm & English Typing speed of 30 WPM. Secretarial work experience will be preferred.	Not Applicable	1 Year	Direct Recruitment	Direct Recruitment	As above
26	Hindi Typist	01* (one) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-C	PB-1, GP 1900	Non-selection	Min-18, Max-27 Years	At least 10+2 (Intermediate) Certificate in Hindi medium having literature Hindi as one of the main subject. Hindi typing speed 25 WPM. Knowledge of Hindi computer software preferred.	Not Applicable	1 Year	Direct Recruitment	Direct Recruitment	As above
27	Multi Tasks Assistant (MTA)	10* (ten) (2015) (Subject to variation dependent on workload)	Group-C	PB-1, GP 1900	Non-selection	Min-18, Max-27 Years	At least 10th Pass. Knowledge of English/Hindi reading/writing and typing and basic computer knowledge preferred.	Not Applicable	1 Year	Direct recruitment	Direct Recruitment	As above

											NOTE: In case departmental candidates are not eligible/ suitable for promotions as per RR, higher number of officials over the prescribed limits (percentage) can be taken on deputations/DR against the vacancies.	

[F. No. 2/1/2012-JE/Jute, Part-II]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy..

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.22 09:46:14 +05'30'